DHYEYA IAS
most trusted since 2003

DAILY pre PARE
Current affairs summary for prelims

23 August, 2024

संसदीय समिति

संदर्भ: *हाल ही में संसद की संयुक्त समिति इस गुरुवार को वक्फ (संशोधन) विधेयक पर अपनी पहली बैठक आयोजित करेगी।*

संविधान और महत्व

- संविधान में समितियों का उल्लेख है, लेकिन उनकी संरचना या कार्यों को निर्दिष्ट नहीं किया गया है। इन्हें दोनों सदनों के नियमों द्वारा परिभाषित किया जाता है।
- समितियां संदर्भित मामलों पर विशेषज्ञता प्रदान करती हैं, विचार-विमर्श के लिए व्यावसायिक और शांत वातावरण प्रदान करती हैं, तथा ज्ञापनों और साक्ष्यों के माध्यम से सार्वजनिक सहभागिता की अनुमति देती हैं।

संसदीय समितियों के लिए मानदंड

- सदन द्वारा नियुक्त या निर्वाचित अथवा अध्यक्ष/सभापति द्वारा मनोनीत होना।
- अध्यक्ष/सभापति के निर्देशन में कार्य करना।
- सदन या अध्यक्ष/सभापति के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करना।
- लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय द्वारा समर्थित होना।
- परामर्शदात्री समितियां, यद्यपि सांसदों से बनी होती हैं, लेकिन ये मानदंड पूरे नहीं करतीं और उन्हें संसदीय समितियां नहीं माना जाता है।

संसदीय समितियों का वर्गीकरण

- **स्थायी समितियाँ:** स्थायी, निरंतर आधार पर कार्य करती हैं तथा प्रत्येक वर्ष या समय-समय पर गठित की जाती हैं।
- **तदर्थ समितियाँ:** अस्थायी, कार्य पूरा होने के बाद समाप्त हो जाती हैं। इसमें जाँच समितियाँ और सलाहकार समितियाँ शामिल हैं।

महत्वपूर्ण संसदीय समितियाँ

- **प्राक्कलन समिति**
  - **उत्पत्ति** : यह 1950 में स्थापित हुई तथा 1921 की स्थायी वित्तीय समिति से जुड़ी।
  - **संरचना** : लोकसभा से 30 सदस्य, प्रतिवर्ष चुने जाते हैं साथ ही कोई भी मंत्री सदस्य इसके नहीं हो सकते।
  - **कार्य** : बजट की जांच करना और व्यय मितव्ययिता का सुझाव देना।
- **लोक लेखा समिति**
  - **उत्पत्ति** : भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत 1921 में स्थापित किया गया।
  - **संरचना** : 22 सदस्य (लोकसभा से 15, राज्य सभा से 7), एक वर्ष के लिए चुने जाते हैं, अध्यक्ष विपक्ष से होता है,कोई भी मंत्री इसके सदस्य नहीं हो सकता है।
  - **कार्य** : सीएजी ऑडिट रिपोर्ट की जांच करना, कानूनी, आर्थिक और औचित्य मानकों के लिए सार्वजनिक व्यय की जांच करना।
- **सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी समिति**
  - **उत्पत्ति** : 1964 में कृष्ण मेनन समिति की सिफारिस द्वारा स्थापित किया गया।
  - **संरचना** : इसमें 22 सदस्य (लोकसभा से 15, राज्य सभा से 7) होते है, कोई भी मंत्री इसका सदस्य नहीं हो सकता है।
  - **कार्य** : सलाहकारी सिफारिशों के साथ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की रिपोर्ट और लेखाओं की समीक्षा करना।
- **विभागीय स्थायी समितियां**
  - **उत्पत्ति** : 1993 में अनुशंसित, 2004 में विस्तारित किया गया।
  - **संरचना** : 31 सदस्य (21 लोक सभा से, 10 राज्य सभा से) होते है, प्रतिवर्ष नियुक्त,कोई भी मंत्री इसके सदस्य नहीं हो सकता।
  - **कार्य** : विधेयकों, अनुदानों की मांगों और उन्हें सौंपे गए अन्य मामलों की जांच करना।

पीठासीन अधिकारियों वाली प्रमुख समितियाँ

- **नियम समिति**
  - **कार्य** : सदन के प्रक्रियात्मक और व्यावसायिक नियमों पर विचार करना, संशोधनों की सिफारिश करना।
  - **संरचना** : लोकसभा में 15 सदस्य, राज्य सभा में अध्यक्ष/सभापति सहित 16 सदस्य।
- **व्यापार सलाहकार समिति**
  - **कार्य** : सदन की समय सारिणी को नियंत्रित करना, विधायी कार्य के लिए समय आवंटित करना।
  - **संरचना** : लोकसभा में 15 सदस्य, राज्य सभा में अध्यक्ष/सभापति सहित 11 सदस्य।
- **सामान्य प्रयोजन समिति**
  - **कार्य** : सदन से संबंधित उन मामलों पर सलाह देना जो अन्य समितियों द्वारा नहीं किए जाते।

भारत सरकार में कैबिनेट समितियाँ

- **उत्पत्ति और संरचना**
  - संविधान के अनुच्छेद 77(3) से प्राप्त भारत सरकार कार्य संचालन नियम, 1961 के अंतर्गत कार्य करते हुए, संविधानेतर रूप में इसके उत्पत्ति हुई।
  - मंत्रिमंडल के कार्यभार को कम करने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा गठित इस समिति में आमतौर पर 3-8 सदस्य होते हैं, जिसकी अध्यक्षता अक्सर प्रधानमंत्री या वरिष्ठ मंत्री करते हैं।
- **महत्वपूर्ण कैबिनेट समितियां**
  - **राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति:** विदेशी और घरेलू मामलों से संबंधित सभी नीतिगत मामलों को संभालती है।
  - **आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति:** आर्थिक नीतियों का समन्वय और निर्देशन करती है।
  - **कैबिनेट की नियुक्ति समिति:** सरकार और सार्वजनिक उद्यमों में उच्च स्तरीय नियुक्तियों पर निर्णय लेती है।
  - **संसदीय मामलों पर कैबिनेट समिति:** संसद में सरकारी कामकाज की प्रगति का प्रबंधन करती है।
  - **निवेश और विकास पर कैबिनेट समिति:** निवेश और आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित करती है।
  - **रोजगार और कौशल विकास पर कैबिनेट समिति:** रोजगार और कौशल विकास के मुद्दों पर विचार करती है।
  - **सुरक्षा संबंधी कैबिनेट समिति:** यह राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों से संबंधित समिति है।
  - **आवास संबंधी कैबिनेट समिति:** यह सरकारी आवास से संबंधित मुद्दों को देखती है।

Face to Face Centres
DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029
dhyeyaias.com

DHYEYA IAS
most trusted since 2003

DAILY pre PARE
Current affairs summary for prelims

23 August, 2024

भारत-यूक्रेन संबंध

***संदर्भ** : बुधवार के दिन भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने यूक्रेन की राजकीय यात्रा शुरू की है।*

➢ **राजनयिक गठबंधन**

- भारत ने सोवियत संघ के विघटन के बाद दिसंबर 1991 में यूक्रेन की संप्रभुता को मान्यता दी।
- कीव में भारतीय दूतावास मई 1992 में स्थापित किया गया था, और यूक्रेन ने फरवरी 1993 में नई दिल्ली में अपना मिशन खोला था।
- दोनों देश सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखते हैं तथा शिक्षा, कानूनी सहायता और अंतरिक्ष अन्वेषण में सहयोग करते हैं।

➢ **रक्षा सहयोग**

- भारत अपनी स्वतंत्रता के बाद से यूक्रेन से सैन्य प्रौद्योगिकी और उपकरण प्राप्त करता रहा है।
- भारतीय वायु सेना अपने SU-30MKI लड़ाकू विमानों पर यूक्रेन द्वारा निर्मित R-27 हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों का उपयोग करती है।
- हाल के घटनाक्रमों में भारत द्वारा यूक्रेन को हथियार निर्यात करना, द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को मजबूत करना शामिल है।

➢ **आर्थिक आदान-प्रदान**

- भारत एशिया-प्रशांत क्षेत्र में यूक्रेन का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है और विश्व स्तर पर पांचवें स्थान पर है।
- 2021-22 में द्विपक्षीय व्यापार बढ़कर 3.386 बिलियन डॉलर हो गया, लेकिन हाल के संघर्षों से प्रभावित हुआ है।
- यूक्रेन को भारतीय निर्यात मुख्यतः फार्मास्यूटिकल उत्पाद हैं।

➢ **सांस्कृतिक संपर्क**

- 30 से अधिक यूक्रेनी सांस्कृतिक समूह भारतीय नृत्य शैलियों को बढ़ावा देने के लिए समर्पित हैं।
- लगभग 18,000 भारतीय छात्र यूक्रेन में चिकित्सा कार्यक्रमों में नामांकित हैं।
- भारतीय पेशेवर यूक्रेन में फार्मास्यूटिकल्स, आईटी, इंजीनियरिंग और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में कार्यरत हैं।

➢ **मानवीय सहायता**

- भारत ने चिकित्सा आपूर्ति, उपकरण, कंबल और टेंट सहित मानवीय सहायता की 15 खेपें भेजी हैं।
- योगदान में यूक्रेन के पुनर्प्राप्ति प्रयासों का समर्थन करने के लिए कीव में एक स्कूल का पुनर्निर्माण शामिल है।

➢ **ऑपरेशन गंगा (2022)**

- **उद्देश्य** : 2022 रूस-यूक्रेन युद्ध के दौरान पड़ोसी देशों में फंसे भारतीय नागरिकों को बचाया जाना।
- **दायरा** : लगभग 20,000 भारतीय नागरिक, मुख्य रूप से छात्र, यूक्रेन में थे।
- **निकासी** : रोमानिया, हंगरी, पोलैंड, मोल्दोवा और स्लोवाकिया से 76 उड़ानों के माध्यम से 16,000 से अधिक भारतीयों को भारत वापस लाया गया।
- **पर्यवेक्षण** : चार केंद्रीय मंत्रियों - हरदीप सिंह पुरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, किरेन रिजिजू और वीके सिंह - ने ऑपरेशन की देखरेख की।
- **मानवीय सहायता:** भारत ने यूक्रेन को चिकित्सा आपूर्ति, टेंट, कंबल और अन्य आवश्यक वस्तुएं प्रदान कीं।
- **अंतिम निकासी:** 10 मार्च को सुमी से लगभग 600 भारतीयों को पोलैंड के रेज्सोव ले जाया गया, तथा 11 मार्च को वे वापस भारत आ गए।
- **सरकारी संचार:** नागरिकों को परामर्श जारी किए गए, तथा चौबीसों घंटे काम करने वाली हेल्पलाइन और अन्य संचार चैनल स्थापित किए गए।
- **विशेष दूत:** प्रधानमंत्री ने विभिन्न पड़ोसी देशों से निकासी के समन्वय के लिए उच्च स्तरीय मंत्रियों को भेजा।

राजनयिक पासपोर्ट

***संदर्भ:** बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने छात्र-नेतृत्व वाले विद्रोह से भाग जाने के बाद शेख हसीना का राजनयिक पासपोर्ट रद्द कर दिया।*

➢ **राजनयिक पासपोर्ट के बारे में :**

- आधिकारिक राजनयिक मिशनों या सरकारी व्यवसाय पर किसी देश का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों को यह जारी किया जाता है।
- राजनयिकों, सरकारी अधिकारियों और कभी-कभी उनके निकटतम परिवार के सदस्यों द्वारा उपयोग किया जाता है।
- अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत यह कुछ कानूनी विशेषाधिकार और प्रतिरक्षा प्रदान करता है, जिसमें गिरफ्तारी और कुछ कानूनी कार्यवाहियों से प्रतिरक्षा भी शामिल है।

➢ **पात्रता :**

- भारत में विदेश मंत्रालय के पासपोर्ट कांसुलर और वीज़ा प्रभाग द्वारा इसे जारी किया गया।
- यह सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्तियों, भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस) के अधिकारियों, केंद्रीय मंत्रियों और संसद सदस्यों (एमपी) जैसे चुनिंदा आधिकारिक यात्रियों को दिया जाता है।

➢ **निरस्तीकरण शक्ति:**

- निरस्तीकरण का अधिकार पासपोर्ट प्राधिकारी के पास है तथा इसमें सरकारी हस्तक्षेप केवल न्यायालय के आदेश के बाद ही आवश्यक होता है।

Face to Face Centres
DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029
dhyeyaias.com

- पासपोर्ट अधिनियम 1967 के तहत गलत तरीके से रखने, सूचना छिपाने, राष्ट्रीय हित को खतरा होने या भारत में आपराधिक कार्यवाही के कारण पासपोर्ट रद्द किया जा सकता है।

➢ **अंतरराष्ट्रीय कानून:**

- **राजनयिक संबंधों पर वियना कन्वेंशन:** राजनयिक पासपोर्ट धारकों के विशेषाधिकारों और प्रतिरक्षा को परिभाषित करता है।
- **वीज़ा छूट समझौते:** धारकों को आधिकारिक उद्देश्यों के लिए 90 दिनों तक बिना वीज़ा के कुछ देशों की यात्रा करने की अनुमति देता है। भारत के जर्मनी सहित 34 देशों के साथ ऐसे समझौते हैं।

➢ **पासपोर्ट के प्रकार:**

- राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट मैरून रंग के होते हैं, जो पांच साल तक के लिए वैध होते हैं।

Passport Type	Validity	Colour	Issued To
Ordinary (Type P)	10 years (adults), 5 years (minors)	Blue	All Indian citizens
Official	Same as Ordinary passport	White	Government officials
Diplomatic	Five years or less	Maroon	Diplomats, senior government officials, their dependents
Emigration Check Required (ECR)	Same as Ordinary passport	Orange	Indian citizens who haven't completed 10th grade education
Emergency Certificate	Short validity	-	Indian citizens abroad in exigencies (Single journey to India when the passport is lost/ expired)

➢ **जिन्हें जारी किया जाता है:**

- राजनयिक स्थिति वाले व्यक्ति।
- सरकारी काम पर गए सरकारी अधिकारी।
- आईएफएस अधिकारी और उनके परिवार।
- चयनित व्यक्तियों को आधिकारिक यात्रा के लिए अधिकृत किया गया।

➢ **निरसन के आधार:**

- गलत तरीके से प्राप्त करना।
- भौतिक जानकारी को दबाने के माध्यम से प्राप्त किया गया।
- भारत की संप्रभुता या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को खतरा।
- भारत में किसी गंभीर अपराध का दोषसिद्ध होना।
- आपराधिक कार्यवाही से संबंधित न्यायालय के आदेश।

➢ **राजनयिक और नियमित पासपोर्ट के बीच अंतर:**

- **जारी करने हेतु:**
  - **नियमित:** यह सामान्य नागरिक और वीआईपी के लिए है।
  - **राजनयिक:** यह उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारी के लिए है।
- **वैधता** :
  - **नियमित:** वयस्कों के लिए 10 वर्ष, नाबालिगों के लिए 5 वर्ष।
  - **राजनयिक:** 5 वर्ष तक।
- **उद्देश्य** :
  - **नियमित:** व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक यात्राएं।
  - **राजनयिक:** आधिकारिक सरकार से संबंधित यात्राएं।

➢ **वीजा आवश्यकताएं:**

- **वीज़ा छूट:** भारत ने राजनयिक पासपोर्ट धारकों के लिए 34 देशों के साथ समझौते किए हैं। इसके अतिरिक्त, सेवा और आधिकारिक पासपोर्ट धारकों को 99 अन्य देशों के साथ 90 दिनों तक के लिए वीज़ा छूट प्राप्त है।

NEWS IN BETWEEN THE LINES

उड़ान योजना

हाल ही में, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने सीप्लेन के लिए सरलीकृत नियम पेश किए, जिससे गैर-अनुसूचित ऑपरेटरों को उड़ान योजना के तहत सेवाएं देने की अनुमति मिली, जिसका अब तक सीमित उपयोग हुआ है।

उड़ान योजना के बारे में:

- उड़ान योजना (उड़े देश का आम नागरिक) अक्टूबर 2016 में राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति के हिस्से के रूप में शुरू की गई थी।
- उड़ान योजना का प्राथमिक उद्देश्य छोटे और मध्यम शहरों को प्रमुख शहरों से जोड़कर क्षेत्रीय हवाई संपर्क में सुधार करना है, जिससे आम आदमी के लिए हवाई यात्रा सुलभ हो सके।
- उड़ान योजना का उद्देश्य सालाना 1 करोड़ यात्रियों को सस्ती हवाई यात्रा प्रदान करना है, जिससे पूरे देश में कनेक्टिविटी और पहुंच में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।
- उड़ान योजना के तहत पहली उड़ान को अप्रैल 2017 में शिमला से दिल्ली के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाई थी।
- सरकार ड्रान योजना के तहत कम किराए के कारण होने वाले नुकसान को कवर करने के लिए एयरलाइनों को व्यवहार्यता अंतर निधि (वीजीएफ) प्रदान करती है।
- यह योजना लगभग 5 रुपये प्रति किलोमीटर की लागत पर हवाई यात्रा प्रदान करती है, जो औसत टैक्सी किराया 10 रुपये प्रति किलोमीटर से सस्ता है।
- यह योजना एक महत्वपूर्ण रोजगार सृजनकर्ता है, UDAN के तहत प्रत्येक अतिरिक्त विमान से लगभग 100 रोजगार सृजित होने की उम्मीद है।

Face to Face Centres
DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029
dhyeyaias.com

डिजिटल सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण

हाल ही में, डिजिटल सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण (DGCES) के राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन से पहले, केंद्र ने फसल उत्पादन के आँकड़ों में सुधार पर चर्चा करने के लिए गुरुवार को राज्यों के साथ एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया।

डिजिटल सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण के बारे में:

- डिजिटल सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण (DGCES) एक राष्ट्रव्यापी पहल है जिसका उद्देश्य फसल कटाई प्रयोगों पर आधारित सर्वेक्षण पद्धति का उपयोग करके फसल की पैदावार का सटीक आकलन करना है।
- यह फसल कटाई प्रयोग (CCE) के परिणामों को सीधे खेत से रिकॉर्ड करने के लिए एक मोबाइल एप्लिकेशन और पोर्टल का उपयोग करता है।
- ऐप में पारदर्शिता और सटीकता में सुधार के लिए GPS-सक्षम फोटो कैप्चर और स्वचालित प्लॉट चयन जैसी सुविधाएँ शामिल हैं।
- यह फसल उत्पादन डेटा की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए रिमोट सेंसिंग, भू-स्थानिक विश्लेषण और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसी अन्य तकनीकों का भी उपयोग करता है।
- यह फसलों के जियोटैग किए गए क्षेत्रों के साथ प्लॉट-स्तरीय डेटा प्रदान करता है, जो फसल क्षेत्र का अनुमान लगाने के लिए सत्य के एकमात्र स्रोत के रूप में कार्य करता है।
- यह ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को भी शामिल करता है, जो खेत में फसल की तस्वीरें लेने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए जियो-फेंसिंग जैसी उन्नत तकनीक का उपयोग करते हैं।
- यह कृषि डेटा के लिए एक केंद्रीय केंद्र के रूप में भी कार्य करता है जो नीति निर्माताओं और हितधारकों के लिए सुलभ है।

मौद्रिक नीति समिति

हाल ही में, मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी किए गए "प्रोटोकॉल के अनुसार", मुद्रास्फीति को 4% लक्ष्य के अनुरूप लाने के लिए नीतिगत दरों को बनाए रखने का निर्णय लिया।

मौद्रिक नीति समिति के बारे में:

- मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) एक वैधानिक निकाय है, जिसे भारत में मौद्रिक नीति निर्धारित करने के लिए एक वैधानिक ढांचा प्रदान करने के लिए वित्त अधिनियम, 2016 के माध्यम से संशोधित भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) अधिनियम, 1934 के तहत स्थापित किया गया है।
- मौद्रिक नीति समिति का प्राथमिक कार्य सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य सीमा के भीतर मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने, मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करने और आर्थिक विकास का समर्थन करने के लिए बेंचमार्क नीति दर (रेपो दर) निर्धारित करना है।
- यह बहुमत से निर्णय लेती है, बराबरी की स्थिति में आरबीआई गवर्नर के पास निर्णायक मत होता है, और इसके निर्णय आरबीआई पर बाध्यकारी होते हैं।
- बैठक के लिए चार सदस्यों का कोरम आवश्यक है, जिसमें गवर्नर या डिप्टी गवर्नर शामिल हैं।
- इसमें RBI गवर्नर (अध्यक्ष), मौद्रिक नीति के प्रभारी RBI डिप्टी गवर्नर, RBI बोर्ड द्वारा नामित एक अधिकारी और भारत सरकार द्वारा नियुक्त तीन बाहरी सदस्य सहित छह सदस्य शामिल हैं।

समाचार में स्थान

थाईलैंड

हाल ही में, थाईलैंड ने अफ्रीका से राज्य की यात्रा करने वाले एक मरीज में एमपॉक्स के एक नए, घातक तनाव के एशिया के पहले ज्ञात मामले की पुष्टि की।

थाईलैंड (राजधानी: बैंकॉक)

स्थान: थाईलैंड दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक देश है।

सीमाएँ: थाईलैंड म्यांमार (उत्तर-पश्चिम), लाओस (उत्तर-पूर्व), कंबोडिया (दक्षिण-पूर्व), थाईलैंड की खाड़ी और मलेशिया (दक्षिण), अंडमान सागर (दक्षिण-पश्चिम) के साथ अपनी सीमाएँ साझा करता है।

भौतिक विशेषताएँ:

- थाईलैंड में अंडमान सागर और थाईलैंड की खाड़ी में कई द्वीप हैं, जैसे फुकेत, कोह समुई, कोह फ़ि फ़ि और कोह ताओ।
- थाईलैंड का सबसे ऊँचा स्थान दोई इंथानोन है, जो देश के उत्तरी भाग में चियांग माई प्रांत में स्थित है।
- थाईलैंड की प्रमुख नदियों में चाओ फ्राया, मेकांग, माई क्लॉन्ग, नान और पिंग शामिल हैं
- थाईलैंड में आम तौर पर पूरे साल गर्म और आर्द्र मौसम की विशेषता वाली उष्णकटिबंधीय जलवायु होती है।

POINTS TO PONDER

- किस संगठन ने महिलाओं के खिलाफ अपराधों से संबंधित घोषित मामलों वाले मौजूदा सांसदों/विधायकों पर 2024 की रिपोर्ट जारी की? – **एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR)**
- हाल ही में, चंद्रयान-3 के प्रज्ञान रोवर पर किस उपकरण ने चंद्र मैग्मा महासागर (LMO) परिकल्पना का समर्थन करने वाले साक्ष्य प्रदान किए? – **अल्फा पार्टिकल एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर (APXS)**
- भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस न्यायालय की आलोचना की, जिसने सोलह वर्ष से अधिक उम्र के किशोरों से जुड़े सहमति से यौन कृत्यों को अपराध से मुक्त करने के लिए POCSO अधिनियम में संशोधन करने का सुझाव दिया था? – **कलकत्ता उच्च न्यायालय**
- हाल ही में किस समुदाय ने अपने पशुओं के लिए "चारागाह गलियारे" की मांग करते हुए महाराष्ट्र के खामगांव में उप-विभागीय अधिकारी के कार्यालय तक मार्च किया? – **धनगर**
- भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने टेरा हर्ट्ज़ बैंड में नवीन नई प्रौद्योगिकियों और सेवाओं को विकसित करने के लिए क्या सिफारिश की है? – **टेरा हर्ट्ज़ प्रायोगिक प्राधिकरण**